अनुबंध

परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत विधि संबंधी दिशानिर्देश

मूल संकेतक विधि की तुलना में **मानकीकृत विधि (टीएसए)** परिचालन जोखिम हानि से बचाव के लिए आवश्यक पूंजी के निर्धारण की अधिक उन्नत विधि है । इस विधि के अंतर्गत किसी बैंक की कारोबारी गतिविधियों को मानकीकृत कारोबारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक संकेतक (इंडिकेटर) दिया जाता है । परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा सभी कारोबारी क्षेत्रों की पूंजी अपेक्षाओं का योग होगी । टीएसए अपनाने वाले बैंक को एकल स्तर पर तथा बीमा कारोबार छोड़कर पूरे बैंकिंग समूह के स्तर पर उसे लागू करना चाहिए । तथापि, यदि कोई बैंक पूरे बैंकिंग समूह पर टीएसए लागू करने की स्थिति में न हो तो वह आरंभ में टीएसए एकल स्तर पर तथा समूह की अन्य कंपनियों पर मूल संकेतक विधि लागू कर सकता है । बैंक को क्रमिक रूप से उसे पूरे समूह पर कार्यान्वित करना चाहिए । इस संबंध में बैंक द्वारा किये गये प्रयास को स्तंभ II के अंतर्गत पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाएगा ।

बैंकों के पास यह भी विकल्प होगा कि वे नीचे पैरा 2 में वर्णित **वैकल्पिक मानकीकृत विधि (एएसए)** का अनुसरण करें ।

1. मानकीकृत विधि

1.1 मानकीकृत विधि में बैंकों की गतिविधियों को इन आठ कारोबारी क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है : कार्पोरेट वित्त, व्यापार और बिक्री, खुदरा बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, अदायगी और भुगतान, एजेंसी सेवा, आस्ति प्रबंध और खुदरा दलाली । **परिशिष्ट I** में कारोबारी क्षेत्र की विस्तृत परिभाषा दी गयी है । यह संभव है कि इनमें से कुछ कारोबारी क्षेत्रों में भारत में बैंक विभागीय रूप से नहीं बल्कि सहायक कंपनियों के माध्यम से सक्रिय हों । ऐसे मामलों में एकल आधार पर बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना में उन क्षेत्रों को पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा, लेकिन समूह-व्यापी परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार के आकलन में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ।

1.2 प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र में सकल आय एक व्यापक संकेतक है जो कारोबार परिचालन के पैमाने को और इन कारोबारी क्षेत्रों में से प्रत्येक के परिचालन जोखिम एक्सपोज़र के संभावित आकार की ओर इंगित करता है । प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए पूंजी प्रभार की गणना सकल आय को उस कारोबारी क्षेत्र के लिए प्रदत्त गुणक (जिसे बीटा कहा गया है) से गुणा कर प्राप्त किया जाता है । बीटा किसी कारोबारी क्षेत्र के परिचालन जोखिम हानि अनुभव और उस कारोबारी क्षेत्र की सकल आय के समन्वित स्तर के बीच संबंध के संकेतक के रूप में कार्य करता है ।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीएसए में प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए सकल आय की गणना की जाती है, पूरी संस्था के लिए नहीं । उदाहरण के लिए, कार्पोरेट वित्त में कार्पोरेट वित्त कारोबारी क्षेत्र में हुई सकल आय संकेतक होगी । तथापि, आठ कारोबारी क्षेत्रों की सकल आय का योग संस्था की सकल आय के बराबर होना चाहिए ।

1.3 कुल पूंजी प्रभार की गणना प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के विनियामक पूंजी प्रभारों के जोड़ के तीन वर्षीय औसत के रूप में की जाती है । इस उद्देश्य के लिए वर्ष का निर्धारण पैरा के अंत में दिये गये उदाहरण में स्पष्ट की गयी विधि से किया जाएगा । किसी वर्ष में किसी कारोबारी क्षेत्र का ऋणात्मक पूंजी प्रभार (ऋणात्मक सकल आय से उत्पन्न) अन्य कारोबारी क्षेत्रों के धनात्मक पूंजी प्रभारों को असीमित रूप से प्रतिसंतुलित कर सकता है । तथापि, यदि किसी वर्ष सभी कारोबारी क्षेत्रों में कुल पूंजी प्रभार ऋणात्मक हो तो उस वर्ष अंश में शून्य लिखा जाएगा । कुल पूंजी प्रभार को निम्नानुसार व्यक्त किया जाएगा :

$$K_{TSA} = \{\sum_{\text{years } 1\text{-}3} \max [\sum(GI_{1\text{-}8} \text{ X } \beta_{1\text{-}8}), O\}/3$$

जहां

K_{TSA} = टीएसए के अंतर्गत पूंजी प्रभार

GI_{1-8} = मूल संकेतक विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी वर्ष में आठ कारोबारी क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए वार्षिक सकल आय (कृपया **परिशिष्ट 2** देखें) ।

$\beta_{1\text{-}8}$ = बासल समिति द्वारा निर्धारित एक निश्चित प्रतिशत है, जो आठ कारोबारी क्षेत्रों में से प्रत्येक की सकल आय के स्तर को अपेक्षित पूंजी के स्तर के साथ जोड़ता है ।

टीएसए के अंतर्गत बीटा का मूल्य

क्रमांक	कारोबारी क्षेत्र	□ गुणक
1.	कार्पोरेट वित्त (β_1)	18%
2.	व्यापार और बिक्री (β_2)	18%
3.	भुगतान और निपटान (β_3)	18%
4.	एजेन्सी सेवाएं (β_4)	15%
5.	आस्ति प्रबंधन (β_5)	12%
6.	खुदरा दलाली (β_6)	12%
7.	खुदरा बैंकिंग (β_7)	12%
8.	वाणिज्यिक बैंकिंग (β_8)	15%

बैंक को सबसे हाल के वर्ष की वार्षिक सकल आय की गणना पिछली चार वित्तीय तिमाहियों में कारोबारी क्षेत्र, विशेष की सकल आय को जोड़कर करनी चाहिए । बैंक को इसी प्रकार सब से हाल के वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए अपनी वार्षिक आय की गणना करनी चाहिए ।

उदाहरण

यदि कोई बैंक नवंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार परिचालन जोखिम भारित आस्तियों की गणना कर रहा है तो कारोबारी क्षेत्र - विशेष की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक सकल आय की गणना निम्नानुसार की जानी चाहिए :

	वर्ष 3	**वर्ष 2**	**वर्ष 1**
समाप्त वित्तीय तिमाही में सकल आय	सितंबर 2010(GI_{3a})	सितंबर 2009(GI_{2a})	सितंबर 2008(GI_{1a})
	जून 2010(GI_{3b})	जून 2009(GI_{2b})	जून 2008(GI_{1b})
	मार्च 2010(GI_{3c})	मार्च 2009($GI2_{c}$)	मार्च 2008(GI_{1c})
	दिसंबर 2009(GI_{3d})	दिसंबर 2008(GI_{2d})	दिसंबर 2007(GI_{1d})
कुल	$GI_3= GI_{3a} + GI_{3b} + GI_{3c} + GI_{3d}$	$GI_2= GI_{2a} + GI_{2b} + GI_{2c} + GI_{2d}$	$GI_1= GI_{1a} + GI_{1b} + GI_{1c} + GI_{1d}$

जहां

GI = सकल आय है ।

यदि किसी कारण से पूर्ववर्ती तिमाही की सकल आय के आंकड़े उपलब्ध न हों, तो बैंक सब से हाल के वर्ष के लिए अपनी वार्षिक सकल आय की गणना उस तिमाही से पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की सकल आय को जोड़कर प्राप्त कर सकता है । सब से हाल के वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्षों की वार्षिक सकल आय की गणना भी इसी प्रकार की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए अप्रैल 2011 के अंत में परिचालन जोखिम भारित आस्तियों की गणना करते समय यदि मार्च 2011 के आंकड़े उपलब्ध न हों तो मार्च 2010 को समाप्त तिमाही से दिसंबर 2010 को समाप्त तिमाही तक की 4 तिमाहियों की सकल आय का उपयोग वर्ष 3 की सकल आय की गणना के लिए किया जा सकता है ।

1.4 टीएसए अपनाने के लिए पात्रता मानदंड

टीएसए के उपयोग की पात्रता के लिए बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक को कम-से-कम इस बात से संतुष्ट करना होगा कि वह पैरा 1.4.1 से 1.4.3 में दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

1.4.1 निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र द्वारा पर्यवेक्षण

बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को परिचालन जोखिम प्रबंध प्रणाली के पर्यवेक्षण में सक्रिय रुचि लेनी चाहिए । महत्वपूर्ण परिचालन हानि सहित परिचालन जोखिम एक्सपोज़र की नियमित सूचना कारोबार इकाई प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को दी जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए

परिचालन जोखिम एक्सपोज़र का तात्पर्य है प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में देखी गयी परिचालन हानि की प्रवृत्ति तथा अपने आंतरिक नियंत्रण की स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में संभावित परिचालन हानि के संबंध में बैंक का आकलन । प्रबंधन रिपोर्टों में निहित सूचना के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के संबंध में बैंक में स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए ।

1.4.2 परिचालन जोखिम प्रबंध प्रणाली की गुणवत्ता

1.4.2.1 बैंक के पास एक परिचालन जोखिम प्रबंध प्रणाली होनी चाहिए जो अवधारणा की दृष्टि से सक्षम हो और जिसे ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाता हो । परिचालन जोखिम प्रबंध कार्य के अंतर्गत परिचालन जोखिम की पहचान करना, उसका मूल्यांकन, निगरानी, नियंत्रण और उसे कम करना, परिचालन जोखिम प्रबंध और नियंत्रण के संबंध में पूरी संस्था के स्तर पर नीतियों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करना, संस्था की परिचालन जोखिम मूल्यांकन क्रियाविधि की परिकल्पना और उसका कार्यान्वयन तथा परिचालन जोखिम के लिए जोखिम सूचना प्रणाली की परिकल्पना और कार्यान्वयन आता है ।

1.4.2.2 बैंक की आंतरिक परिचालन जोखिम प्रणाली के अंग के रूप में बैंक को कारोबारी क्षेत्र के अनुसार महत्वपूर्ण हानि के साथ-साथ परिचालन जोखिम से संबंधित आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना चाहिए । टीएसए की पात्रता के लिए बैंक को परिचालन हानि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए :

(i) बैंक को विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के परिचालन हानि संबंधी कम-से-कम एक वर्ष के आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए तथा कम-से-कम पिछले छह महीने के दौरान बोर्ड के स्तर पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए ।

(ii) बैंक के आंतरिक हानि संबंधी आंकड़े अत्यंत व्यापक होने चाहिए ताकि वे सभी समुचित उप-प्रणालियों और भौगोलिक क्षेत्रों के एक्सपोज़र और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को व्यक्त कर सकें । यदि कोई गतिविधि और एक्सपोज़र को शामिल नहीं किया गया है तो बैंक को यह सिद्ध करने में सफल होना चाहिए कि इनसे समग्र जोखिम मूल्यांकन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(iii) बैंक को आंतरिक हानि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सकल हानि की एक समुचित नगण्य न्यूनतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए, उदाहरण के लिए 10,000 रुपये । उक्त समुचित न्यूनतम सीमा बैंकों के बीच अलग-अलग हो सकती है और एक बैंक के भीतर भी विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के बीच और/अथवा विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बीच अलग-अलग हो सकती है । परिचालन जोखिम की माप करने के लिए आवश्यक है कि परिचालन हानि की घटना की संभावना और हानि की भीषणता - दोनों के संबंध में अनुमान लगाया जाए । न्यूनतम सीमा का चयन हानि संवितरण के आकार और प्रत्याशित व अप्रत्याशित परिचालन हानि के अनुमान को प्रभावित करता है । अतः, बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा प्रतियोगी बैंकों द्वारा प्रयुक्त न्यूनतम सीमा के साथ मोटे तौर पर सुसंगत होनी चाहिए और इसका निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए ताकि बैंक परिचालन हानि के कम-से-कम सर्वोच्च 95% के संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र करे । इसके अलावा, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के भीतर सात हानि की

घटनाओं के अंतर्गत परिचालन हानि संबंधी आंकड़ों को वर्गीकृत करें, जैसा कि **परिशिष्ट 3** में दिया गया है । इससे यथासमय उन्नत माप विधि अपनाने में बैंक को आसानी होगी ।

1.4.2.3 बैंक की परिचालन जोखिम मूल्यांकन प्रणाली बैंक की जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं के साथ सघन रूप से जुड़ी होनी चाहिए । इसके निष्कर्ष बैंक के परिचालन जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया के अभिन्न अंग होने चाहिए । उदाहरण के लिए जोखिम रिपोर्टिंग, प्रबंधन रिपोर्टिंग और जोखिम विश्लेषण में इस सूचना की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए । बैंक के पास ऐसी तकनीकें होनी चाहिए जो पूरी संस्था में परिचालन जोखिम प्रबंध में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन दे सके । बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंध प्रणाली अच्छी तरह लिपिबद्ध होनी चाहिए । बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंध प्रणाली से संबंधित आंतरिक नीति, नियंत्रण और प्रक्रियाओं के प्रलेखित (लिपिबद्ध) निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रुटीन स्थापित होना चाहिए, जिसमें अनुपालन न होने पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित नीति अवश्य शामिल होनी चाहिए ।

1.4.2.4 बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंध प्रक्रियाएं और मूल्यांकन प्रणाली का परीक्षण और नियमित स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए, जो कम-से-कम वार्षिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जा सकती है । इन समीक्षाओं में कारोबार इकाइयों की गतिविधियां और परिचालन जोखिम प्रबंध की गतिविधियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ।

1.4.2.5 बैंक की परिचालन जोखिम प्रणाली (आंतरिक परीक्षण प्रक्रिया सहित) की नियमित समीक्षा बाह्य लेखा परीक्षकों (सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) और/अथवा पर्यवेक्षकों द्वारा की जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए बाह्य लेखा परीक्षा फर्मों की सेवा लेते समय बैंकों को इस क्षेत्र में उनके अनुभव, परीक्षण/समीक्षा करने की उनकी वर्तमान क्षमता तथा बाज़ार में उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए ।

1.4.2.6 बैंक के वर्तमान कारोबारी क्षेत्रों और गतिविधियों की सकल आय को मानकीकृत ढांचे में ढालने के लिए विनिर्दिष्ट नीतियां तथा सुप्रलेखित मानदंड विकसित करना चाहिए । नये अथवा परिवर्तनशील कारोबारी क्षेत्रों के लिए मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उनमें यथा उपयुक्त परिवर्तन किया जाना चाहिए । बैंक परिशिष्ट 4 में वर्णित कारोबारी क्षेत्र वर्गीकरण के सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

1.4.2.7 टीएसए का प्रयोग करने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के 14 अक्तूबर 2005 के परिपत्र सं. आरबीआइ/2005-06/180 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 39/21.04.118/2004-05 में निहित परिचालन जोखिम प्रबंध संबंधी मार्गनिर्देशों का भी अनुपालन करना चाहिए ।

1.4.3 पर्याप्त संसाधनों का आबंटन

बैंक के पास इस विधि के प्रयोग के लिए प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों और नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधन (तकनीकी/भौतिक और मानवीय) होने चाहिए ।

1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा सत्यापन

जब कोई बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात से संतुष्ट करता है कि वह उपर्युक्त पात्रता मानदंडों की पूर्ति करता है तो वह टीएसए/एससए (विस्तृत विवरण नीचे) अपना सकता है । बैंक से टीएसए/एएसए अपनाने के लिए समर्थक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों में निहित विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालन की जांच करेगा । ऐसे मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तत्व होंगे :

- मैपिंग प्रक्रिया का प्रलेखीकरण
- मैपिंग मानदंड का विवरण
- नये प्रकार की गतिविधियों की मैपिंग की व्याख्या
- दायित्व संरचना और रिपोर्टिंग
- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम प्रबंध प्रक्रिया का विवरण, और
- प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए परिचालन जोखिम हानि संबंधी आंकड़ों की सत्यता

2. वैकल्पिक मानकीकृत विधि (एएसए)

2.1 एएसए मानकीकृत विधि का एक विशिष्ट रूप है । बैंक एएसए अपना सकता है बशर्ते वह भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात से संतुष्ट करने में सफल होता है कि यह वैकल्पिक विधि जोखिम प्रबंध के लिए बेहतर आधार प्रदान करती है । यदि किसी बैंक को एएसए के प्रयोग की अनुमति दी जाती है तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति लिये बिना फिर से टीएसए का प्रयोग नहीं कर सकता ।

2.2 एएसए के अंतर्गत, दो कारोबारी क्षेत्रों - खुदरा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग - को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार/कार्यविधि टीएसए जैसी ही है । उक्त दो क्षेत्रों के लिए सकल आय की जगह ऋण और अग्रिम - जिसे एक नियत गुणक 'एम' द्वारा गुना किया जाता है - एक्सपोज़र का संकेतक है । खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए बीटा वही हैं जो टीएसए के अंतर्गत हैं ।
उदाहरण के लिए, खुदरा बैंकिंग के लिए एएसए परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है

$$K_{RB} = B_7 \text{ X } m \text{ X } LA_{RB}$$

जहां

K_{RB} = खुदरा बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूंजी प्रभार

B_7 = खुदरा बैंकिंग क्षेत्र के लिए बीटा

LA_{RB} = कुल बकाया खुदरा ऋण और अग्रिम (गैर-जोखिम भारित तथा प्रावधान घटाकर), जिसे ऊपर पैरा 1.3 में दिये गए उदाहरण में स्पष्ट की गयी विधि से निर्दिष्ट विगत 12 तिमाहियों के औसत के रूप में निकाला जाएगा ।

m = नियंत गुणक 0.035

एएसए केअंतर्गत समग्र पूंजी प्रभार की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$K_{ASA} = \{\sum \text{ years } 1\text{-}3 \max [\sum(GI_{1-6} X \beta_{1-6}), 0]\}/3 + (\beta_7 \times m \times LA_{RB}) + (\beta_8 \times m \times LA_{CB})$

जहां

LA_{RB} = कुल बकाया खुदरा ऋण और अग्रिम (गैर-जोखिम भारित तथा प्रावधान घटाकर), जिसे ऊपर पैरा 1.3 में दिये गए उदाहरण में स्पष्ट की गयी विधि से निर्दिष्ट विगम 12 तिमाहियों के औसत के रूप में निकाला जाएगा ।

LA_{CB} = कुल बकाया वाणिज्यिक बैंकिंग ऋण और अग्रिम (गैर-जोखिम भारित तथा प्रावधान घटाकर), जिसे ऊपर पैरा 1.3 में दिये गए उदाहरण में स्पष्ट की गयी विधि से निर्दिष्ट विगम 12 तिमाहियों के औसत के रूप में निकाला जाएगा ।

m = 0.035 (खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग दोनों के लिए)

2.3 एएसए के प्रयोजन के लिए खुदरा बैंकिंग कारोबारी क्षेत्र में कुल ऋण और अग्रिम के अंतर्गत निम्नलिखित ऋण संविभागों की कुल आहरित राशि आएगी - खुदरा, एसएमई जिन्हें खुदरा माना गया है तथा खरीदी गयी खुदरा प्राप्य राशियां । वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए कुल ऋण और अग्रिम के अंतर्गत निम्नलिखित ऋण संविभागों की कुल आहरित राशि आएगी - कार्पोरेट, संप्रभु, बैंक, विशेषीकृत उधार, कार्पोरेट माने गए एसएमई तथा खरीदी गयी कार्पोरेट प्राप्य राशियां । ब्याज आय के प्रयोजन से रखी गयी प्रतिभूतियों के उदाहरण के लिए एचटीएम और एएफएस प्रतिभूतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

2.4 एएसए के अंतर्गत बैंक (यदि चाहें तो) 15% बीटा का प्रयोग कर खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग को मिला सकते हैं । इसी प्रकार जो बैंक अपनी सकल आय अन्य छह कारोबारी क्षेत्रों में बांटने में असफल रहते हैं, वे 18% बीटा का प्रयोग कर इन छह कारोबारी क्षेत्रों की कुल सकल आय जोड़ सकते हैं । टीएसए की तरह ही एएसए के लिए कुल पूंजी प्रभार की गणना आठ कारोबारी क्षेत्रों में से प्रत्येक के विनियामक पूंजी प्रभारों का सरल योग है ।

2.5 <u>पात्रता मानदंड</u>

मानकीकृत विधि को लागू करने की सामान्य अपेक्षाओं के अलावा एएसए अपनाने वाले बैंक को निम्नलिखित अतिरिक्त मानदंड भी पूरा करना चाहिए :

- बैंक को मुख्यतया खुदरा तथा/अथवा वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों में सक्रिय रहना चाहिए । आय संकेतक का कम-से-कम 90% इन क्षेत्रों से आना चाहिए ।

- बैंक को यह साबित करने में सफल होना चाहिए कि उसकी खुदरा और/अथवा वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंश ऐसे ऋण हैं, जिसमें चूक की उच्च संभावना है तथा वैकल्पिक मानकीकृत विधि परिचालन जोखिम के मूल्यांकन के लिए बेहतर आधार प्रस्तुत करती है ।

3. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना

3.1 टीएसए/एएसए के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के बाद बैंक को उसे (100/9) से गुणा करना चाहिए तथा परिचालन जोखिम के लिए नोशनल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) प्राप्त करना चाहिए ।

3.2 परिचालन जोखिम के आरडब्ल्यूए को ऋण जोखिम के आरडब्ल्यूए से जोड़ा जाएगा और ऋण तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा (टीयर 1 और टीयर 2) की गणना की जाएगी । उपलब्ध अधिशेष पात्र पूंजी (जैसा कि नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर जारी हमारे मास्टर परिपत्र में वर्णित किया गया है) बाजार जोखिम की पूंजी अपेक्षा की पूर्ति के लिए पर्याप्त होनी चाहिए ।

3.3 पूरे बैंक के सीआरएआर की गणना करने के लिए कुल पात्र पूंजी (टीयर 1 और टीयर 2) को कुल आरडब्ल्यूए (ऋण जोखिम + परिचालन जोखिम + बाजार जोखिम) से विभाजित किया जाएगा ।

कारोबारी क्षेत्रों का वर्गीकरण

स्तर 1	स्तर 2	गतिविधियों का समूह
कार्पोरेट वित्त	कार्पोरेट वित्त	विलयन और अधिग्रहण, हामीदारी, निजीकरण, प्रतिभूतिकरण, अनुसंधान, ऋण (सरकारी, उच्च प्रतिफल वाली), ईक्वटी, सिंडिकेशन, आइपीओ, द्वितीयक निजी प्लेसमेंट टिप्पणी : उपर्युक्त क्षेत्रों में परामर्शी, तुलन पत्र में शामिल और तुलनपत्रेतर गतिविधियों से होने वाली सकल आय इस कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत आयेगी । भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत विलयन और अधिग्रहण को दी गयी वित्तीय सहायता से संबंधित सकल आय यहाँ रिपोर्ट की जानी चाहिए ।
	सरकारी वित्त	
	मर्चेंट बैंकिंग	
	परामर्श सेवाएँ	
व्यापार और बिक्री	बिक्री	नियत आय, ईक्विटी, विदेशी मुद्रा, ऋण उत्पाद, निधीयन, ओन पोजीशन प्रतिभूति, ऋण देना और रिपो, दलाली, ऋण, प्राइम ब्रोकरेज और खुदरा निवेशकों को सरकारी बांड की बिक्री टिप्पणी : बैंक की सहायक कंपनियों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग से होने वाली सकल आय, डेरिवेटिव लेनदेन से होने वाली आय, कॉल मनी उधार देने संबंधी लेनदेन, प्रतिभूतियों का शॉर्ट सेल तथा विदेशी मुद्रा की बिक्री से होने वाली आय भी इसमें रिपोर्ट की जानी चाहिए ।
	बाजार निर्माण	
	मालिकाना स्थितियाँ	
	ट्रेज़री	
अदागयी और निपटान *	बाह्य ग्राहक	भुगतान और संग्रहण; अंतर-बैंक निधि अंतरण (आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएफटी, ईसीएस आदि), समाशोधन और निपटान
एजेन्सी सेवाएँ	अभिरक्षा	एक्रो, प्रतिभूति उधार (ग्राहक) कार्पोरेट कार्य, डिपोजिटरी सेवाएँ
	कार्पोरेट एजेंसी	जारीकर्ता और भुगतान करनेवाले एजेंट
	कार्पोरेट ट्रस्ट	डिबेंचर ट्रस्टी
आस्ति प्रबंध	विवेकाधीन निधि प्रबंध	समूहबद्ध, अलग-अलग, खुदरा, संस्थागत, बंद, खुली, निजी ईक्विटी
	गैर-विवकाधीन निधि प्रबंध	समूहबद्ध, अलग-अलग, खुदरा, संस्थागत, बंद, खुली
खुदरा दलाली	खुदरा दलाली #	कार्यनिष्पादन और पूरी सेवा देना
खुदरा बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत व्यापार वित्त, नकदी ऋण आदि

		शामिल हैं जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे पर जारी दिशानिर्देशों में परिभाषा दी गयी है तथा इसके अंतर्गत गैर-निधि आधारित बिल ऑफ एक्सचेंज तथा खुदरा ग्राहकों को निर्यात और आयात वित्त सुविधा, आवास ऋण, शेयरों पर ऋण, बैंकिंग सेवाएँ, न्यास और संपदा, खुदरा जमाराशियाँ@, अंतर्बैंक अंतरण भी शामिल हैं ।
	निजी बैंकिंग	निजी उधार (वैयक्तिक ऋण) और निजी (संस्थागत) जमाराशियाँ @, बैंकिंग सेवाएँ, न्यास और संपदा, निवेश परामर्श
	कार्ड सेवाएँ	मर्चेंट /वाणिज्यिक/कार्पोरेट कार्ड, निजी लेबल और खुदरा
वाणिज्यिक बैंकिंग	वाणिज्यिक बैंकिंग	परियोजना वित्त, कार्पोरेट ऋण, नकदी ऋण, स्थावर संपदा, निर्यात और आयात वित्त, व्यापार वित्त, फैक्टरिडग, पट्टा, गारंटी जिसमें आस्थगित भुगतान और कार्यनिष्पादन गारंटी शामिल हैं, एलसी, विनिमय बिल, टेक-आउट वित्त, कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट को छोड़कर अंतर बैंक उधार

* प्रभावित कारोबारी क्षेत्र के हानि अनुभव में बैंक की अपनी गतिविधियों से संबंधित भुगतान और निपटान संबंधी हानि शामिल होगी ।

भारतीय खुदरा दलाली उद्योग के अंतर्गत ऐसी कंपनियाँ आती हैं जो मुख्यतया कमीशन या लेनदेन शुल्क के आधार पर प्रतिभूतियों (उदाहरण के लिए स्टॉक, शेयर और इसी प्रकार के वित्तीय लिखत) की खरीद और बिक्री के लिए एजेंट का कार्य करती हैं ।

@ खुदरा बैंकिंग/निजी बैंकिंग /वाणिज्यिक बैंकिंग पर निवल ब्याज आय की गणना के लिए बैंक खुदरा ग्राहकों / निजी बैंकिंग ग्राहकों /वाणिज्यिक बैंकिंग ग्राहकों को दिये गये ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज में से उन ऋणों के निधीयन (किसी भी स्रोत से) की भारित औसत लागत को घटा सकता है ।

परिशिष्ट 2

सकल आय की परिभाषा

1. सकल आय को 'निवल ब्याज आय' और 'निवल ब्याजेतर आय' के योग के रूप में परिभाषित किया गया है । उद्देश्य यह है कि इस माप में :

i) वर्ष के दौरान किया गया कोई प्रावधान (उदाहरण के लिए अदा न किये ब्याज के लिए) तथा राइट-ऑफ न घटाया जाए ;

ii) परिचालन व्यय, जिसमें आउटसोर्स की गयी सेवाओं के लिए अदा किये गये शुल्क के अलावा आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं को अदा किया गया शुल्क शामिल है, नहीं घटाया जाए । आउटसोर्सिंग सेवा देने वाले बैंक का प्राप्त शुल्क सकल आय की परिभाषा में शामिल होगा;

iii) पिछले वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान और राइट-ऑफ के संबंध में इस वर्ष की गयी प्रतिप्रविष्टि शामिल नहीं होगी;

iv) चल और अचल संपत्ति की मदों के निपटान से मानी गयी आय शामिल नहीं होगी ;

v) 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री से हुए लाभ/हानि शामिल नहीं होंगे ;

vi) बैंक के पक्ष में हुए कानूनी निपटान से हुई आय शामिल नहीं होगी;

vii) आय और व्यय की अन्य असाधारण या अनियमित मदें शामिल नहीं होंगी;

Viii) बीमा गतिविधियों (अर्थात् बीमा पॉलिसी लिखकर प्राप्त आय) और बैंक के पक्ष में बीमा दावों से होने वाली आय शामिल नहीं हागी ।

2. उपर्युक्त परिभाषा निम्नलिखित समीकरण में संक्षेप में दी गयी है :

सकल आय = निवल लाभ (+) प्रावधान और आकस्मिकताएँ (+) परिचालन व्यय (तुलन पत्र की अनुसूची 16) (-) उपर्युक्त पैरा 1 की (iii) से (viii) तक की मदें ।

परिशिष्ट 3

हानि की घटना के प्रकार के अनुसार विस्तृत वर्गीकरण

घटना का प्रकार संवर्ग (स्तर 1)	परिभाषा	संवर्ग (स्तर 2)	गतिविधि उदाहरण (स्तर 3)
आंतरिक धोखाधड़ी	धोखाधड़ी करने, संपत्ति हथियाने और विनियम, कानून या कंपनी नीति का उल्लंघन करने की घटनाओं के कारण हानि, जिसमें कम से कम एक पार्टी संस्था के भीतर से है	अप्राधिकृत गतिविधि	ऐसे लेनदेन जिसकी सूचना नहीं दी गयी है (इरादतन)
			अप्राधिकृत प्रकार के लेनदेन (मौद्रिक हानि वाले)
			पोजीशन का गलत मूल्य निर्धारण (इरादतन)
		चोरी और धोखाधड़ी	धोखाधड़ी/ऋण धोखाधड़ी/मूल्यहीन जमाराशि
			चोरी/लूट/गबन /डकैती
			आस्तियों का दुर्विनियाजन
			आस्तियों को दुष्टतापूर्वक नष्ट करना
			जालसाजी
			हेराफेरी
			तस्करी
			अकाउंट टेक-ओवर/छद्मरूप धारण करना आदि
			कर अननुपालन/करवंचन (इरादतन)
			रिश्वत /किकबैक
			भेदिया व्यापार (फर्म की ओर से नहीं।)
बाह्य धोखाधड़ी	धोखाधड़ी करने, संपत्ति हथियाने अथवा कानून का उल्लंघन करने के इरादे से किये गये कार्य से हुई हानि	चोरी और धोखाधड़ी	चोरी /डकैती
			जालसाजी
			हेराफेरी
		प्रणाली संबंधी सुरक्षा	हैकिंग के द्वारा की गयी हानि
			सूचना की चोरी (जिससे मौद्रिक हानि हो)
रोजगार संबंधी प्रथाएँ और कार्यस्थल की सुरक्षा	रोजगार, स्वास्थ्य, अथवा सुरक्षा संबंधी कानूनों या करारों से असंगत कार्यों के कारण, व्यक्तिगत क्षति संबंधी दावों से अथवा भेदभाव की आपकी घटनाओं के आरण होने वाली हानि	कर्मचारी संबंध	वेतन, लाभ, सेवा समाप्ति संबंधी मुद्दे
			संगठित श्म संबंधी गतिविधियाँ
		सुरक्षा वातावरण	सामान्य देयता (गिरना, चोट लगना आदि)
			कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा नियम संबंधी घटनाएँ
			कर्मचारी क्षतिपूर्ति (वेतन आदि)
		भेदभाव	सभी भेदभाव संबंधी घटनाएँ
घटना का प्रकार संवर्ग	**परिभाषा**	**संवर्ग**	**गतिविधि उदाहरण (स्तर 3)**

(स्तर 1)		(स्तर 2)	
ग्राहक, उत्पाद और कारोबारी प्रथाएँ	विनिर्दिष्ट ग्राहकों के प्रति पेशेवर दायित्व पूरा करने में गैर-इरादतन या लापरवाहीवश हुई चूक (जिसमें न्यास संबंधी या उपयुक्तता संबंधी अपेक्षाएँ शामिल हैं) या उत्पाद के स्वरूप या डिजाइन के कारण हुई हानि	उपयुक्तता, प्रकटीकरण या न्यास संबंधी	न्यास संबंधी उल्लंघन /दिशानिर्देशों का उल्लंघन
			उपयुक्तता / प्रकटीकरण मुद्दे (केवाईसी आदि)
			खुदरा ग्राहक प्रकटीकरण उल्लंघन
			प्राइवेसी का उल्लंघन
			आक्रामक बिक्री
			खाते में अत्यधिक लेनदेन दिखाना
			गोपनीय सूचना का दुरुपयोग
			ऋणदाता की देयता
		अनुचित कारोबारी या बाजार प्रथाएँ	एंटीट्रस्ट
			अनुचित व्यापार /बाजार प्रथाएँ
			मार्केट मेनिपुलेशन
			भेदिया व्यापार (फर्म के खाते पर)
			बिना लाइसेंस के गतिविधि करना
			धन शोधन
		उत्पाद में दोष	उत्पाद दोष (अप्राधिकृत आदि)
			मॉडेल में त्रुटि
		चयन, प्रायोजन और एक्सपोज़र	दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक की छानबीन करने में चूक
			ग्राहक की एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन करना
		परामर्शी गतिविधियाँ	परामर्शी गतिविधियों के संबंध में विवाद
भौतिक आस्तियों को क्षति	प्राकृतिक आपदा या अन्य घटनाओं के कारण भौतिक आस्तियों को हुई क्षति से हानि	आपदा या अन्य घटनाएँ	प्राकृतिक आपदा से हानि
			बाह्य स्रोतों से मानवीय क्षति (आतंकवाद, तोड़फोड़)
कारोबार में बाधा या प्रणालीगत असफलता	कारोबार में बाधा या प्रणालीगत असफलता के कारण हानि	प्रणाली (सिस्टम)	हार्डवेयर
			सॉफ्टवेयर
			दूरसंचार
			किसी प्रोग्राम में रुकावट /बाधा

निष्पादन, वितरण और क्रियाविधि प्रबंध	लेनदेन प्रोसेस करने या क्रियाविधि प्रबंध में असफलता से, व्यापार काउंटर पार्टी और वेंडरों के_साथ संबंध में असफलता से हानि	लेनदेन को व्यक्त करना, उसका निष्पादन और रखरखाव करना	गलत सूचना भेजना
			आँकड़ों की प्रविष्टि, उनके रखरखाव या उन्हें लोड करने में त्रुटि
			दायित्व या डेड लाइन पूरा न करना
			मोडेल/प्रणाली का गलत परिचालन
			लेखांकन संबंधी त्रुटि /व्यक्ति-संस्था की पहचान संबंधी त्रुटि
			अन्य कार्य में निष्पादन संबंधी गलती
			वितरण असफलता
			संपाश्विक प्रतिभूति संबंधी असफलता
			संदर्भ डेटा रखरखाव
		निगरानी और रिपोर्टिंग	अनिवार्य रिपोर्टिंग बाध्याता में चूक
			गलत बाहरी रिपोर्ट (जिससे हानि हुई)
		ग्राहक बनाना और प्रलेखन	ग्राहक की अनुमति /दावा परित्याग खो जाना
			कानूनी दस्तावेज खो जाना /अधूरा
		ग्राहक /खाता प्रबंध	खातों में अननुमोदित पहुँच
			ग्राहक का गलत रिकार्ड (जिससे हानि हुई)
			ग्राहक की आस्तियों में लापरवाही से हानि या क्षति
		व्यापार का काउंटर पार्टी	ग्राहक से इतर काउंटर पार्टी गैर-निष्पादन
			विविध ग्राहकेतर काउंटर पार्टी विवाद
		वेंडर और आपूर्तिकर्ता	आउटसोर्सिंग
			वेंडर विवाद

परिशिष्ट 4

कारोबारी क्षेत्र वर्गीकरण के सिद्धांत

(क) सभी गतिविधियां आठ स्तर 1 कारोबारी क्षेत्रों में इस प्रकार वर्गीकृत की जानी चाहिए ताकि सारी गतिविधियां आठों क्षेत्रों में समाविष्ट हो जाएं तथा एक गतिविधि एक ही क्षेत्र में हो ।

(ख) यदि कोई बैंकिंग या गैर-बैंकिंग गतिविधि कारोबारी क्षेत्र ढांचे में आसानी से वर्गीकृत न की जा सके लेकिन जो ढांचे में शामिल किसी गतिविधि की सहायक गतिविधि हो तो उसे उस कारोबारी क्षेत्र में शामिल करना चाहिए जिसे उसका समर्थन मिल रहा हो । यदि उस सहायक गतिविधि से एक से अधिक कारोबारी क्षेत्रों को समर्थन मिल रहा हो तो वर्गीकरण का कोई वस्तु मूलक मानदंड अपनाया जाना चाहिए ।

(ग) सकल आय का वर्गीकरण करते समय यदि कोई गतिविधि किसी खास कारोबारी क्षेत्र में वर्गीकृत न की जा सके तो उच्चतम प्रभार वाले कारोबारी क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए । किसी सहयोगी सहायक गतिविधि पर भी वही कारोबारी क्षेत्र लागू होगा ।

(घ) बैंक कारोबारी क्षेत्रों के बीच सकल आय को आबंटित करते समय आंतरिक मूल्य निर्धारण विधि का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते बैंक के लिए कुल सकल आय (मूल संकेतक विधि के अंतर्गत दर्ज) आठ कारोबारी क्षेत्रों की सकल आय के योग के बराबर हो ।

(च) परिचालन जोखिम पूंजी के प्रयोजन से कारोबारी क्षेत्रों में गतिविधियों का वर्गीकरण अन्य जोखिम संवर्गों अर्थात् ऋण और बाजार जोखिम में विनियामक पूंजी की गणना में प्रयुक्त कारोबारी क्षेत्रों की परिभाषा से सुसंगत होना चाहिए । इस सिद्धांत से किसी भी तरह के पार्थक्य का स्पष्ट कारण होना चाहिए और उसे लिपिबद्ध किया जाना चाहिए ।

(छ) प्रयुक्त वर्गीकरण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध होनी चाहिए । विशेष रूप से कारोबारी क्षेत्र की लिखित परिभाषा स्पष्ट और पर्याप्त रूप से ब्यौरेवार होनी चाहिए ताकि अन्य पक्षकार कारोबारी क्षेत्र वर्गीकरण का अनुकरण कर सकें । प्रलेखन में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से अपवादों का कारण दिया जाना चाहिए और उन्हें रिकार्ड में शामिल किया जाना चाहिए ।

(ज) किसी नयी गतिविधि या उत्पाद के वर्गीकरण को परिभाषित करने की प्रक्रिया सुस्थापित होनी चाहिए ।

(झ) वरिष्ठ प्रबंध तंत्र वर्गीकरण नीति के लिए उत्तरदायी है (जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन होगी)

(ट) कारोबारी क्षेत्रों की वर्गीकरण प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ।

कारोबारी क्षेत्र वर्गीकरण के अनुपूरक दिशानिर्देश

बैंक आठ कारोबारी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए विविध प्रकार की उपयुक्त विधियां अपना सकते हैं, बशर्ते प्रयुक्त विधि कारोबारी क्षेत्र वर्गीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप हों । एक संभव विधि का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, जिसका प्रयोग बैंक अपनी सकल आय के वर्गीकरण में कर सकता है ।

1. खुदरा बैंकिंग की सकल आय के अंतर्गत खुदरा ग्राहकों और खुदरा माने गये एसएमई को दिये गये ऋण और अग्रिम पर निवल ब्याज आय, खुदरा बैंकिंग बही की हेजिंग के लिए धारित डेरिवेटिव और स्वैप से निवल आय तथा खरीदी गयी खुदरा प्राप्य राशियों पर आय शामिल है । खुदरा बैंकिंग के लिए निवल ब्याज आय की गणना करने के लिए बैंक खुदरा ग्राहकों को दिये गये ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज में ऋण के निधीयन (किसी भी स्रोत से) की भारित औसत लागत को घटाता है ।

2. इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकिंग की सकल आय के अंतर्गत कार्पोरेट (तथा कार्पोरेट माने गये एसएमई) अंतर बैंक और सम्प्रभु ग्राहक को दिये गये ऋण और अग्रिम पर निवल ब्याज आय, खरीदी गयी कार्पोरेट प्राप्य राशियों पर आय, तथा प्रतिबद्धताएं, गारंटी, विनियम बिल, सहित पारंपरिक वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित शुल्क बैंकिंग बही में धारित प्रतिभूतियों पर निवल आय (उदाहरण के लिए कूपन और लाभांश से) तथा वाणिज्यिक बैंकिंग बही की हेजिंग के लिए धारित डेरिवेटिव और स्वैप से होने वाले लाभ/हानि शामिल हैं । इसी प्रकार निवल ब्याज आय की गणना कार्पोरेट अंतर बैंक और सम्प्रभु ग्राहकों को दिये गये ऋण और अंग्रिम पर अर्जित ब्याज में से इन ऋणों के निधीयन (किसी भी स्रोत से) की भारित औसत लागत को घटाकर की जाती है ।

3. व्यापार और बिक्री के लिए सकल आय के अंतर्गत खरीद बिक्री करने के प्रयोजन से (अर्थात् मार्क-टू-मार्केट बही में) धारित लिखतों पर लाभ/हानि से निधीयन लागत घटायी जाती है तथा थोक बैंकिंग से प्राप्त शुल्क को जोड़ा जाता है ।

4. अन्य पांच कारोबारी क्षेत्रों के लिए सकल आय के अंतर्गत मुख्यतया इन कारोबारों में से प्रत्येक में अर्जित निवल शुल्क/कमीशन आयेगा । अदायगी और निपटान के अंतर्गत थोक काउंटरपार्टियों के लिए भुगतान/निपटान सुविधाओं के प्रावधान को कवर करने के लिए शुल्क आता है । आस्ति प्रबंधन दूसरों की ओर से किया गया आस्ति प्रबंधन है ।